न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी सुभाष चन्द आर.ए.एस

मैनुअल प्र.स 13/2022
जीसीएमएस 2022/96

1 जानी देवी विधवा पत्नी रामचन्द जाति नायक निवासी 16 पीटीडी ए ढाणी ग्राम पंचायत 75 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

—प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—अप्रार्थी

उपस्थिति

1 श्री लखविन्द सिंह वकील प्रार्थी

2 राजपैरोकार

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :—

दिनांक : 19.07.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी चक 16 पीटीडीए की मूल निवासी है एव सदभावी काश्तकार पेशा हैं। चक 16 पीटीडी ए रायसिंहनगर के प.नं. 278/337 मु.न. 11 के कि.न. 1 से 8 के 7–18 बीघा भूमि 1955 से पूर्व सरकारी भूमि मन कर एव आवटन की समस्त शर्तों को पूरी करने को मध्य नजर रखते हुये राजस्थान कोलोनाइजेशन विभाग सूरतगढ के सक्षम अधिकारी द्वारा अस्थाई आवंटन की हैसियत से प्रार्थीनी के ससुर शंकरलाल के देहान्त के पश्चात पति रामचन्द काश्त करते आ रहे हैं। रामचन्द के देहान्त के बाद प्रार्थीनी भूमि को बतौर पुरानी अस्थाई आवंटन की भूमि की हैसियत से काश्त करती आ रही हैं और आज भी प्रार्थीनी का कब्जा भूमि पर बतौर अस्थाई आवंटन की हैसियत से हैं। आर.सी.पी विभाग के टूटने बाद राजस्व विभाग को भूमि आवंटन आदि के अधिकार श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर को दिये जाने के बाद प्रार्थीनी की स्थाई आवंटन की पत्रावली मि. स. 256/2007 श्रीमान् जी के कार्यालय में विचाराधीन है और लम्बा अरसा व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक रकबा प्रार्थीनी को आवंटित नहीं किया गया जबकि प्रार्थीनी पात्रता रखती है। चक 16 पीटीडी ए के 7–18 बीघा पर नाजायज काश्त का हर वर्ष तावान की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 22 राज. कोलो.ए. के तहत की जाकर उससे तावान आज दिनांक तक खजाना राज में जमा करवाये जाते हैं। कि.नं. 1 ता 4 में प्रार्थीनी को बिना सूचना दिये एव बिना सुने रास्ता स्वीकृत कर दिया गया मगर रास्ता की जगजह आज तक प्रार्थीनी के कब्जा में हैं एवं मौका पर सरसों की फसल काश्त की हुई हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गयी हैं कि रास्ता की भूमि पर नाजायज सरसों की फसल को शीघ्र नष्ट करेंगे। यदि वो अपने इरादा में सफल हो गये तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया वाद साबित हैं, सुवि[illegible] के पक्ष मे है। अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारि[illegible] करने [illegible] निवेदन किया कि वह चक 16 पीटीडी ए प.नं. 278/[illegible] 4 रास्ता की जगह मे काश्त प्रार्थी की फसल को नष्ट [illegible] प्रार्थीनी [illegible] करने से वर्जित रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी राजस्थान राज्य की ओर से राजपैरोकार ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 16 पीटीडी ए प.नं. 278/337 मु.नं. 11 के कि.नं. 1 ता 8 नपहरी किस्म की आराजीराज सरकारी भूमि है। और कि.नं. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 की गै. मु. रास्ता सरकारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीनी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी न्यायोचित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.07.29 12:27:35 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी एवं राजपैरोकार सुनी गयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया विवादित भूमि पर बतौर अस्थाई आवंटन की हैसियत से काबिज हैं। समय समय पर नाजायज काश्त की कार्यवाही किये जाने पर प्रार्थीया द्वारा तावान राशि खजानाराज जमा करवाई गयी हैं। प्रार्थीया के स्थाई आवंटन की पत्रावली जैरकार हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को बिना सुने कि.न. 1 से 4 में रास्ता स्वीकृत किया हैं एवं प्रार्थीया को बेदखल करने पर अमादा हैं। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर अप्रार्थी को पाबंध किया जावे कि प्रार्थीया को बेदखल करने से बाज व ममनू रहे। राजपैरोकार अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मु. रास्ता एवं रकबा राज के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थीनी किसी भी प्रकार से राज्य के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिनी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि सरकारी भूमि गै.मु. रास्ता एवं राजस्थान सरकार भूमि धारक के रूप में दर्ज हैं। प्रार्थीनी विवादित भूमि की ना तो खातेदार हैं न ही गैर खातेदार के रूप में रिकार्ड दर्ज हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा 212 आरटीए के प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दूओं का विवेचन किया जाकर प्रकरण का विनिश्चय किया जाना होता हैं। प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र में उक्त तीनों बिन्दुओं को स्वयं के पक्ष सिद्ध करने में असफल रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। न्यायालय की मत में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.07.29 12:27:35 IST
Reason: SelfAttested